निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 342) पटना, मंगलवार, 29 अप्रील 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

29 अप्रील 2025

सं० एल०जी०–01–02 / 2025–2644 / लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 4, 2025]

बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025

प्रस्तावना:–बिहार राज्य में आरामिलों, विनियर मिलों, प्लाईवूड पेस्टिंग इकाईयों तथा कम्पोजिट इकाईयों की स्थापना एवं संचालन का विनियमन ''काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के द्वारा किया जाता है।

और चूँकि काष्ठ एवं इसके अन्य रूपों जैसे चंदन, कत्था लकड़ी आदि कच्चे पदार्थों पर आधारित और भी अनेक उद्योग है। इन उद्योगों जैसे कत्था उद्योग, काष्ठ कोयला उद्योग, इत्यादि का महत्वपूर्ण प्रभाव बिहार राज्य के वन/वृच्छादन/हरियाली पर पड़ता है, इसलिए वैधानिक तंत्र के माध्यम से इनका विनियमन आवश्यक है।

और चूँकि शुल्क/जुर्माना आदि के रूप में काष्ठ आधारित उद्योगों से प्राप्त की गई राशि का उपयोग राज्य में वन/वृक्ष आच्छादन को बढ़ाये जाने हेतु योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किये जाने हेतु प्रावधान बनाये जाने हैं।

और चूँकि उपरोक्त तथ्यों एवं आवश्यकताओं के आलोक में वर्तमान ''बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990'' को प्रतिस्थापित करने के लिए ''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025'' का प्रारूप तैयार किया गया है।

इसलिए अब भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में यह बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।**–
   (1) यह अधिनियम ''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025'' कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **परिभाषाएँ– (1)** इस अधिनियम में, जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो–
   (क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025;
   (ख) **''औद्योगिक सम्पदा या औद्योगिक क्षेत्र''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों सहित अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए अधिसूचित क्षेत्र;
   (ग) **''अनुज्ञप्ति''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–10 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति;
   (घ) **''अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;
   (ङ) **''अनुज्ञापन पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त अनुज्ञापन पदाधिकारी;
   (च) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए **''व्यक्ति''** से अभिप्रेत है कोई आवेदनकर्त्ता जिनमें कोई व्यक्ति या हिंदु अविभाजित परिवार का कर्त्ता या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन कोई साझेदार प्रतिष्ठान या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई कंपनी या कोई पंजीकृत सहकारी सोसाइटी शामिल है;
   (छ) **''प्रधान मुख्य वन संरक्षक''** से अभिप्रेत है राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की कोटि का कोई वन पदाधिकारी;
   (ज) **''विहित प्राधिकार''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त विहित प्राधिकार;
   (झ) **''गोल बोटा''** से अभिप्रेत है अपने प्राकृतिक रूप में काष्ठ का ऐसा बोटा जिसके छाल के नीचे का मध्य घेरा तीस सेन्टीमीटर या उससे अधिक हो और इसमें ऐसा गोल बोटा भी शामिल है जिसका छाल हटाया गया हो या जिसकी सतह के अनुप्रस्थ काट को, इसके परिवहन और/या भंडारण में सुविधा के प्रयोजनार्थ, वर्गाकार या लगभग वर्गाकार बनाने के लिए हाथ से या किसी बैंड सॉ या अन्य किसी मशीन या उपस्कर द्वारा काट–छाँट किया गया हो;
   (ञ) **''आरा मिल''** से अभिप्रेत है गोल बोटों को चिरान काष्ठ में परिवर्तित करने के लिए काष्ठ आधारित उद्योग;
   (ट) **''चिरान काष्ठ''** से अभिप्रेत है शहतीर, कड़ी, तख्ते, पट्टे और किसी गोल बोटा के चिराई से प्राप्त ऐसे उत्पाद;
   (ठ) **''चिरान एवं/या प्रसंस्करण''** उसके व्याकरणिक रूप, भेदों तथा सजातीय पदों सहित से अभिप्रेत है विद्युत या यांत्रिक शक्ति की सहायता से यांत्रिक अथवा रसायनिक प्रक्रिया द्वारा काष्ठ की चिराई करने, कटाई करने, फांक करने, छिलने, रूपांतरित करने, उसे गढ़ने या उसका संशोषण (सीजनिंग) करने की संक्रिया और उसके अंतर्गत उसका परिरक्षण तथा उपचार किया जाना भी आता है। इसमें काष्ठ से भिन्न अन्य अवशेषों (कत्था या गूदा) की निकासी का कार्य या ऐसे सभी कार्य, जिनमें काष्ठ का उपयोग, एक कच्चा माल के रूप में किया जाता है, भी शामिल होंगे;

(ङ) **''चयनित काष्ठ आधारित उद्योग''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के तहत् राज्य स्तर पर संकलित वरीयता सूची के अंतर्गत वरीयता स्थिति वाला काष्ठ आधारित उद्योग;

(ढ़) **''अचयनित काष्ठ आधारित उद्योग''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के तहत् राज्य स्तर पर संकलित वरीयता सूची से बाह्य वरीयता स्थिति वाला काष्ठ आधारित उद्योग;

(ण) **''राज्य''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(त) **''राज्य स्तरीय समिति''** (एस०एल०सी०) से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–3 के तहत् राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(थ) **''वाहन''** से अभिप्रेत है यंत्रचालित वाहन अथवा मानव या पशु द्वारा खींचा जानेवाला कोई वाहन एवं इसके अंतर्गत् ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटर वाहन, नाव तथा गाड़ी सम्मिलित हैं;

(द) **''काष्ठ''** के अंतर्गत् वृक्ष आते हैं जबकि वे गिर गये हों या गिराये गए हों और बाँस से भिन्न किसी भी प्रजाति का समस्त काष्ठ चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए काटा गया, रूपांतरित किया गया, गढ़ा गया, चीरा गया या खोखला किया गया हो अथवा नहीं;

(ध) **'काष्ठ आधारित उद्योग'** का तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग से है जिसमें काष्ठ कच्चे माल के रूप में प्रसंस्कृत किया जाता है (आरा मशीन / विनियर / प्लाईवुड या कोई अन्य प्रकार जैसे चंदन, कत्थे की लकड़ी, काष्ठ कोयला की इकाई आदि)।

(न) **'काष्ठ कोयला'** का तात्पर्य किसी वृक्ष से प्राप्त लकड़ी के अपूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन से है।

(प) **''कम्पोजिट यूनिट''** का अभिप्राय है कोई उद्योग जहॉ विभिन्न प्रकार के काष्ठ आधारित उद्योग संचालित हैं।

(फ) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है एक पचांग वर्ष जो जनवरी महीने के प्रथम दिन को प्रारम्भ होकर उस वर्ष के दिसम्बर महिने के 31वें दिन को समाप्त होता है।

(2) वैसे शब्द तथा अभिव्यक्ति जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।

3. राज्य स्तरीय समिति का गठन।–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में या इसके द्वारा नियत कृत्यों के निष्पादन हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच0ओ0एफ0एफ0)	–	अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रतिनिधि, जो वन संरक्षक की कोटि से अन्यून पंक्ति का होगा	–	सदस्य
(ग)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार का एक प्रतिनिधि, जो वन संरक्षक की कोटि से अन्यून पंक्ति का होगा एवं जो कार्य नियोजनाओं/कार्य योजनाओं को तैयार किए जाने से संबद्ध होगा	–	सदस्य
(घ)	निदेशक/अपर निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार	–	सदस्य
(च)	प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	–	सदस्य
(छ)	वन मुख्यालय में कार्यरत वन संरक्षक की कोटि से अन्यून पंक्ति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

(3) राज्य स्तरीय समिति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रादेशिक संभाग से ऐसे किसी अधिकारी को, जो वन संरक्षक की कोटि से अन्यून पंक्ति का हो तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों को सहयोजित कर सकेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति अपनी प्रत्येक बैठक में किसी एक काष्ठ चिरान संघ द्वारा नामित काष्ठ आधारित उद्योग या इसके संघ के एक प्रतिनिधि को विशेष निमंत्रित के रूप में आमंत्रित करेगी।

(5) राज्य स्तरीय समिति की बैठक के लिए गणपूर्त्ति स्थायी सदस्यों की कम से कम पचास प्रतिशत की उपस्थिति से होगी।

(6) राज्य स्तरीय समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

4. राज्य स्तरीय समिति की शक्तियाँ और कार्य ।– राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.):

(i) जैसे और जब यह विनिश्चय करे, मांग और आपूर्ति के संबंध में समुचित अध्ययन के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलब्धता का आकलन करेगी। ऐसे तरीके से जो क्षेत्र के वनों एवं वृक्ष आच्छादन को प्रतिकूलतः प्रभावित नही करे, काष्ठ के वहनीय उपयोग के लिए समुचित तंत्र का यत्न करेगी।

(ii) यदि यह संतुष्ट हो कि नये काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से काष्ठ उपलब्ध है (जैसे वन, वनों इत्यादि के बाहर वृक्ष आदि) तो वह ऐसे काष्ठ आधारित उद्योगों के नामों का अनुमोदन करेगी, जिनको नयी अनुज्ञप्ति दिए जाने या विद्यमान अनुज्ञापित क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(iii) सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पास संचित काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई धन राशि का उपयोग केवल वनीकरण/वृक्षारोपण के प्रयोजनार्थ किया जाए।

(iv) राज्य सरकार द्वारा प्रसंगित किसी अन्य मामले की समीक्षा करेगी और समुचित अनुशंसाएं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगी।

5. अनुज्ञापन पदाधिकारी की नियुक्ति।–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उन स्थानीय सीमाओं को विनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्तर्गत किसी अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कर्त्तव्यों का पालन किया जाएगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन सौंपे गए हों।

6. विहित प्राधिकार की नियुक्ति।–

(1) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा वन संरक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विहित प्राधिकार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) उन स्थानीय सीमाओं को विनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर किसी विहित प्राधिकार द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कर्त्तव्यों का पालन किया जाएगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन सौंपे गए हों।

7. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।–

(1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि को या इसके बाद कोई व्यक्ति किसी काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना तथा/अथवा संचालन इस अधिनियम के तहत प्राधिकार के बिना एवं उन शर्तों का अनुपालन किए बिना, जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा समर्पित आवदेन पर प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अध्यधीन हो, नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के तहत् जारी की गयी समझी जाएगी।

8. काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्रतिबंधित स्थान और प्रतिषिद्ध क्षेत्र की घोषणा।–

(1) राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों के संचालन हेतु निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय पटना उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्राधिकृत समिति के राज्य विशिष्ट आदेश/ अनुमोदन के अनुसार दूरी अथवा (पथ तट/रेल तट/नहर तट के वृक्षारोपणों को छोड़कर) निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दस किलोमीटर की हवाई दूरी, जो कम हो, से बाहर अनुमति दी जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के प्रावधान सुरक्षित वन घोषित पथ तट/नहर तट/रेल तट के वृक्षारोपण पर लागू नहीं होंगे।

(3) निकटतम अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी पर विचार किए बिना औद्योगिक संपदा अथवा नगरीय क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) में काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित की जा सकती है।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, उसमें उल्लिखित कारणों से, किसी क्षेत्र को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी। इस अधिनियम या उसके तहत् किए गए आदेश के अधीन किसी क्षेत्र को प्रतिबंधित/प्रतिषिद्ध घोषित किए जाने की अवधि में, निम्नलिखित परिणाम होंगे; यथा–

(क) उस क्षेत्र में काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना के लिए कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी;

(ख) उस कालावधि के दौरान उस क्षेत्र में काष्ठ आधारित उद्योग की कोई अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी;

(ग) उस क्षेत्र में अवस्थित काष्ठ आधारित उद्योग का संचालन नहीं होगा और उसका परिचालन बन्द रखा जाएगा;

(घ) इस प्रकार से परिचालन नहीं होने या बंद किए जाने के फलस्वरूप हुए नुकसानों से संबंधित कोई दावा ना तो किसी प्राधिकार के समक्ष निहित होगा और ना ही इस बन्दी के फलस्वरूप हुआ कोई हरजाना अनुज्ञाप्तिधारी को देय होगा।

(5) (क) राज्य सरकार इस धारा के तहत् किसी क्षेत्र को प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध घोषित किए जाने की तिथि तक प्राप्त किए गए काष्ठों/काष्ठ उत्पादों के निष्पादन के लिए निदेश निर्गत कर सकेगी।

(ख) प्रभावित काष्ठ आधारित उद्योग को धारा 8 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रतिबंधित स्थान और प्रतिषिद्ध क्षेत्र के बाहर संचालन की अनुमति होगी।

9. राज्य में विभिन्न काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का निर्धारण और उपकरणों पर प्रतिबंध।– काष्ठ की उपलब्धता के आकलन और विभिन्न काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा काष्ठ की अनुमानित वार्षिक खपत के आलोक में राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा, समय–समय पर, विभिन्न काष्ठ आधारित उद्योगों के परिसंचालन के लिए उनकी संख्या और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या तथा/अथवा प्रकार का निर्धारण किया जायेगा।

10. अनुज्ञप्ति की मंजूरी और नवीकरण।–

(1) ऐसे मामलों में, जहाँ काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन निर्धारित काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुमत संख्या से कम है, नए काष्ठ आधारित उद्योग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार नयी अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन निर्गत कर सकती है।

(3) इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसा आवेदन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(4) कोई आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि वह ठीक समझे, इस अधिनियम के तहत बनाये गए नियम के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कार्रवाई कर सकेगा।

(5) राज्य स्तरीय समिति की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना किसी काष्ठ आधारित उद्योग के लिए कोई अनुज्ञप्ति मंजूर अथवा नवीकृत नहीं की जाएगी।

परन्तु यह कि किसी काष्ठ आधारित उद्योग की अनुज्ञप्ति के नवीकरण की शक्ति राज्य स्तरीय समिति संबंधित वन प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के प्रावधानों तथा ऐसे शर्त्तों के, जो इसमें विहित किए जाए, के अध्यधीन होगी।

(7) अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निर्गत की जाएगी तथा इसकी समाप्ति के उपरांत इसका नवीकरण ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसे शुल्क के साथ जिसे राज्य सरकार द्वार विहित किया जाय, आवेदन दिए जाने पर किया जायेगा।

(8) घरेलू मूल के गोल बोटों का उपयोग नहीं करने वाले या तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक बैंड साँ या री–साँ या चक्रीय आरा के बिना प्रचालन करने वाले उद्योगों के लिए ऐसे मामलों में अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ उनके द्वारा निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है:

(क) चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनियर या वैध श्रोतों से प्राप्त आयातित काष्ठ,

(ख) ब्लॉक बोर्ड, मेडियम डेंसीटी फाईवर (एम.डी.एफ.) या विधिसंगत श्रोतों से प्राप्त किए गए इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद,

(ग) कृषि–वानिकी/कृषिगत फसल के रूप में घोषित प्रजातियों से और/या राज्य में पातन एवं पारगमन व्यवस्था से मुक्त विधिसंगत श्रोतों से प्राप्त किया गया गोल बोटा/काष्ठः

परन्तु यह कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले उद्योगों में 60 सेंटीमीटर व्यास तक के चक्रीय आरा को संस्थापित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(9) इस धारा की उप धारा (8) के अधीन के उद्योग संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

11. अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण।–

(1) विक्रय/उत्तराधिकार इत्यादि की स्थिति में अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण राज्य स्तरीय समिति की अनुमति से किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के तहत अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण हेतु मार्गदर्शन निर्गत किया जा सकेगा।

12. अनुज्ञप्ति प्राप्त काष्ठ आधारित उद्योगों की पारस्परिक वरीयता।–

(1) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाईयों के प्रत्येक वर्ग के लिए वरीयता सूची तैयार एवं प्रकाशित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन हस्तान्तरित अनुज्ञप्ति के मामले में संबंधित काष्ठ आधारित उद्योग की वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(3) विभिन्न प्रकार के काष्ठ आधारित उद्योगों की पारस्परिक वरीयता सूची तैयार करने हेतु राज्य सरकार दिशा–निर्देश जारी करेगी।

13. प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, जप्ति आदि की शक्ति।–

(1) किसी काष्ठ आधारित उद्योग की स्थिति को विनिश्चित करने, उसकी कार्यशैली की जाँच करने के प्रयोजनार्थ या इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अनुज्ञापन पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत वन परिसर पदाधिकारी (वनपाल) से अन्यून स्तर का कोई अन्य वन पदाधिकारीः

(क) किसी काष्ठ आधारित उद्योग में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को, जो किसी काष्ठ आधारित उद्योग पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति के अथवा उसके संबंध में नियोजित किसी व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जाँच के लिए पेश किए जाने का आदेश दे सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति, परिसर, वाहन, मशीन, औजार या उपकरण, जिसका उपयोग इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए किया गया हो अथवा किए जाने की मंशा हो, की तलाशी ले सकेगा तथा इस प्रयोजनार्थ किसी वाहन अथवा व्यक्ति को रोक सकेगा;

(घ) ऐसे काष्ठ, संयत्रों और मशीनरी, औजार, वाहन और किसी अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसे संदेह है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने में अन्तर्ग्रस्त है या उपयोग में लाया गया है या अन्तर्ग्रस्त की जानेवाली है या उपयोग में लाई जानेवाली है, जप्तकर सकेगा।

(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान जो तलाशी और जप्ति से संबंधित हैं, जहाँतक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और जप्ति में लागू होंगे।

14. विवरणियों का प्रस्तुतिकरण।– प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति काष्ठ आधारित उद्योग के कामकाज के संबंध में ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्रपत्रों में और अन्तराल पर ऐसे अधिकारी को समर्पित करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

15. काष्ठ आधारित उद्योग के द्वारा अभिलेखों का संधारण।– समस्त काष्ठ आधारित उद्योग राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रपत्रों में संगत कागजात के साथ अभिलेखों का संधारण करेंगे तथा उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करेंगे। ऐसे अभिलेख निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे काष्ठ भण्डारों जिनका लेखा–जोखा संतोषप्रद रीति में नहीं पाया जाएगा उनके संबंध में माना जाएगा कि वे अवैध रूप से प्राप्त किए गए हैं और ऐसे भण्डार अधिहरण हेतु संभाव्य होंगे।

16. बिना अनुज्ञप्ति वाले काष्ठ आधारित उद्योग में विद्युत संयोजन आदि का प्रतिशेध।–

(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन को एवं उस दिन से विद्युत से संबंधित तत्समय प्रभावी किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी काष्ठ आधारित उद्योग के प्रयोजनार्थ किसी विद्युत् ऊर्जा का उपभोग तबतक नहीं किया जायेगा और कोई विद्युत संयोजन (इलेक्ट्रिक कनेक्शन) तबतक नहीं लगाया जाएगा या उस प्रयोजन के लिए तबतक चालू नहीं रखा जाएगा जबतक कि ऐसा काष्ठ आधारित उद्योग इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अनुज्ञप्त एवं संचालित नहीं हो।

(2) राज्य सरकार इस धारा के उद्देश्यों के लिए नियम बना सकेगी।

17. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या निलम्बन और अपील।–

(1) यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी को, या तो इस निमित्त किए गए निर्देश से या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि–

(क) अनुज्ञप्तिधारी काष्ठ आधारित उद्योग पर पूर्णतः या अंशतः अपने नियंत्रण से अलग हो गया है या ऐसी ईकाई इस अधिनियम की धारा 11 के तहत् राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के बिना प्राप्त की गयी है; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी इकाई का संचालन बन्द कर दी है; या

(ग) अनुज्ञप्तिधारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों में से किसी शर्त्त का या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों में से किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है; या

(घ) अनुज्ञप्तिधारी ने अपने काष्ठ आधारित उद्योग के परिसर में ऐसा काष्ठ/ पादप उत्पाद रखा है जिसके संबंध में वह संतोषप्रद रूप से लेखा–जोखा देने में समर्थ नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वह धारा 18 के अधीन अधिहरण हेतु संभाव्य है; या

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी वन संरक्षण के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त हैं, तो किसी ऐसी अन्य शास्ति, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन भागी हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, अनुज्ञापन पदाधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत या निलंबित कर सकेगा और वह धनराशि, यदि कोई हो, या उसका कोई भाग, जो अनुज्ञप्ति में अधिरोपित शर्तों के सम्यक पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा किया गया हो, जब्त कर सकेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन निर्गत प्रत्येक आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी, विहित प्राधिकार और राज्य स्तरीय समिति को दी जाएगी।

(3) इस अधिनियम की धारा 10, 11 एवं 17 के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तामिला की तिथि से 30 दिनों के भीतर विहित प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(4) विहित प्राधिकार या तो स्वप्रेरणा से या अपील आवेदन पर, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 10,11 एवं 17 के अंतर्गत पारित आदेश से संबंधित अभिलेखों की मांग आदेश की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर सकेगा तथा ऐसी जाँच कर सकेगा या करवा सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

परंतु यह कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

18. काष्ठ आधारित उद्योग इत्यादि का अधिहरण एवं अपील ।–

(1) अनुज्ञापन पदाधिकारी, अवैध रूप से रखे गए काष्ठ के भण्डार के साथ–साथ कारखाना और मशीनरी, उपकरणों और उपस्करों, वाहन या उनके किसी अन्य वस्तुओं के जिनका उपयोग अपराध के किए जाने में किया गया है, को पूर्णतः या अंशतः अधिहरण का आदेश दे सकेगा जहाँ–

(क) कोई काष्ठ आधारित उद्योग धारा 8 के अधीन प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध घोषित क्षेत्र में स्थापित है अथवा संचालित किया जाता है; या

(ख) कोई काष्ठ आधारित उद्योग बिना वैध अनुज्ञप्ति के स्थापित है और/या परिचालित किया जाता है; या

(ग) कोई काष्ठ आधारित उद्योग अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण के बाद परिचालित किया जाता है; या

(घ) कोई काष्ठ आधारित उद्योग धारा 16 के प्रावधान के विरूद्ध विद्युत ऊर्जा या विद्युत प्रतिष्ठापन की सहायता से परिचालित किया जाता है; या

(च) काष्ठ आधारित उद्योग के परिसर में बिना लेखा–जोखा वाला काष्ठ पाया गया हो।

(2) जिस अपराध के लिए जप्ति की कार्रवाई की गयी हो उस अपराध का परीक्षण करने की अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी को संपत्ति अधिहरण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की जानकारी भेजी जाएगी।

(3) उप धारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अधिहृत करने हेतु आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि उस व्यक्ति को, जिससे उस संपत्ति को जप्तकिया गया है, और उस दशा में जबकि ऐसी संपत्ति का स्वामी ज्ञात हो, ऐसे व्यक्ति को–

(क) उन आधार, जिनपर ऐसी संपत्ति को अधिहरित किया जाना प्रस्तावित है, की लिखित सूचना नहीं दे दी जाती है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरूद्ध लिखित अभ्यावेदन ऐसे युक्तियुक्त समय के अंतर्गत जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, देने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ग) मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है।

(4) अधिहरण आदेश के विरूद्ध अपील।– अधिहरण आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के तीस दिनों के भीतर, या यदि ऐसे आदेश की जानकारी उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने के तीस दिनों के भीतर, आदेश की सत्यापित प्रति एवं ऐसे शुल्क के साथ ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, संबंधित क्षेत्र, जिसमें जप्ति की गई है, के विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित अपील कर सकेगा।

(5) कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन।– इस धारा की उप धारा–2 के तहत् किसी सम्पत्ति के अधिहरण की कार्यवाही आरंभ होने के बारे में परीक्षण की अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर उस सम्पत्ति के, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अधिहरण की कार्यवाही आरम्भ की गई हो, कब्जा, परिदान या वितरण के संबंध में आदेश देने की अधिकारिता किसी न्यायालय को नहीं होगी।

19. धारा–18(1) या 18(3) या 18(4) के तहत् पारित आदेश के अन्तिम हो जाने के पश्चात् संबंधित समाग्री का सरकार में निहित होना।—

(1) जहाँ धारा 18 की उप–धारा (1) या उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के तहत किसी संपत्ति या उसके किसी अंश के संबंध में, जैसा भी हो, अधिहरण हेतु पारित आदेश अंतिम हो गया हो वहाँ

यथास्थिति ऐसी संपत्ति या उसका ऐसा अंश, सभी ऋणभारों (एनकम्ब्रेन्सेज) से मुक्त रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाएगा।

(2) धारा 18 की उप–धारा (1) या उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन पारित अधिहरण आदेश किसी ऐसी अन्य शास्ति जिसके लिए वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो, के अधिरोपण को वर्जित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

20. शास्तियां।–

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए किसी काष्ठ आधारित उद्योग का संचालन संज्ञेय अपराध होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो वह तीन महीने के कारावास, जिसका विस्तार एक वर्ष तक हो सकेगा और/या 10000/– (दस हजार) रूपये के जुर्माना, जो 100000/– (एक लाख) रूपये तक विस्तारित हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

21. बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति।–

(1) कोई वन पदाधिकारी, बिना किसी दण्डाधिकारी के आदेश या वारंट के, किसी व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए किसी काष्ठ आधारित उद्योग के संचालन का यथोचित संदेह हो, गिरफ्तार कर सकता है।

(2) इस धारा के तहत् गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी बिना अनावश्यक विलम्ब अभियुक्त को बन्धेज पर छोड़ेगा, या गिरफ्तार व्यक्ति को मामले में अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी या निकटतम थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

22. गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धेज पर छोड़ने की शक्ति।–सहायक वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून कोई वन पदाधिकारी, जो या जिसके अधीनस्थ ने धारा–21 के तहत् किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को इस आशय के बन्धेज को हस्ताक्षरित करने पर कि जब कभी आवश्यकता हो, मामले में अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी या निकटतम थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होगा, छोड़ सकेगा।

23. कंपनियों द्वारा अपराध।–

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारी और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और वह ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और कार्रवाई किए जाने का भागी होगा, और तदनुसार दण्डित किया जायेगा।

परंतु यह कि इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रावधानित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए समुचित तत्परता बरती थी।

(2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के तहत् कोई अपराध किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत या लापरवाही के कारण किया गया है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और कार्रवाई किए जाने का भागी होगा और तदनुसार दण्डित किया जायेगा।

व्याख्या– इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) ''कम्पनी'' से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय जिसमें कोई फर्म या सहकारी समिति या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ शामिल है;

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' के अन्तर्गत फर्म का भागीदार भी शामिल है।

24. सबूत का भार।–

(1) जहाँ कोई काष्ठ, चिरा हुआ या बिना चिरा हुआ, और/या काष्ठ या किसी काष्ठ आधारित उद्योग से बरामद होता है जिसके लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गए नियमावली के प्रावधानों के अधीन कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति नहीं है, वहाँ जबतक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह माना जाएगा कि वह काष्ठ आधारित उद्योग संचालित था।

(2) जहाँ इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गए नियमावली के विरूद्ध किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, यह स्थापित हो जाता है कि अवैध घोषित कोई काष्ठ किसी व्यक्ति के काष्ठ आधारित उद्योग के परिसर में, या किसी ऐसे स्थल पर जहाँ चिरान/प्रसंस्करण किया जा रहा था, जप्त किया गया था, वहां जबतक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, जिसके साबित

करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

25. **अपराध का संज्ञान।**— कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसा अपराध गठित करनेवाले तथ्यों के बारे में अनुज्ञापन पदाधिकारी के या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे राज्य सरकार द्वारा या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त समुचित रूप से प्राधिकृत किया गया हो, लिखित प्रतिवेदन पर लेगा।

26. **न्यायालय की अधिकारिता।**— प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से न्यून कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का परीक्षण नहीं करेगा।

27. **अपराध का प्रशमन।**—

(1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त वन पदाधिकारीः

(क) किसी व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरित कर लिए जाने का दायी हो या धारा 17 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द अथवा निलंबित रखे जाने का दायी हो या उसके संबंध में युक्तियुक्त रूप से यह संदेह है कि उसने धारा 14 के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करने या धारा 15 के अधीन काष्ठ का लेखा जोखा नहीं रखने, या अवैध रूप से प्राप्त आधा घनमीटर आयतन से कम काष्ठ/किसी अन्य स्वरूप यथा चन्दन, कत्था लकड़ी, काष्ठकोयला का प्रसंस्करण का अपराध किया है, ऐसे प्रतिसंहरण या निलंबन के बदले या ऐसे प्रत्येक अपराध के शमन के रूप में, जैसा भी हो, ऐसी धनराशि स्वीकार कर सकेगा जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम में विहित हो और ऐसी राशि दण्डस्वरूप अधिरोपित कर सकेगा जो नियम में विहित हो और अवैध रूप से प्राप्त किए गए काष्ठ को, जिसको जब्त किया गया था, अधिहरित किए जाने का आदेश करेगा;

(ख) यदि इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन अधिहरित किए जाने योग्य कोई सम्पत्ति जप्त की गई हो तो इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व, नियम के अन्तर्गत विहित मूल्य का भुगतान कर दिये जाने पर, विमुक्त कर सकेगा।

(2) वन पदाधिकारी को, यथास्थिति, ऐसी धनराशि का या, ऐसे मूल्य का, या दोनों का, भुगतान कर दिये जाने पर, अभियुक्त व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में हो, छोड़ दिया जायेगा, जप्त संपत्ति विमुक्त कर दी जाएगी, और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध या ऐसी संपत्ति के संबंध में आगे कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) वैद्य अनुज्ञप्ति के बिना परिचालित काष्ठ आधारित उद्योग पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

28. **अनुज्ञापन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी लोक सेवक होंगे।**— अनुज्ञापन पदाधिकारी और प्रत्येक ऐसे पदाधिकारी को, जिसे किन्हीं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित रूप से प्राधिकृत किया गया है या जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित हो, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधान के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

29. **अनुचित जप्ति के लिए दंड।**— इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण योग्य होने के बहाने एवं परेशान करने हेतु कोई वन पदाधिकारी अनावश्यक रूप से कोई सम्पत्ति जब्त करता है तो वह 10000/— (दस हजार) रूपये के जुर्माने, जो 100000/— (एक लाख) रूपये तक विस्तारित हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

30. **अच्छे मंशा से की गई कार्रवाई का संरक्षण।**— इस अधिनियम के प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या इनके तहत किए गए आदेश के अनुसरण में अच्छे मंशा से की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरूद्ध संस्थित नहीं होगी।

31. **पुरस्कार।**— यथास्थिति न्यायालय या अनुज्ञापन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनके द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन का निर्विवाद रूप से पता लगा हो, उतनी रकम, जो जुर्माने की रकम के और/या समपहृत और/या अधिहृत संपत्ति के मूल्य के एक चौथाई से अनधिक हो, पुरस्कार स्वरूप देने की अनुमति का आदेश दे सकेगा।

32. **नियम बनाने की शक्ति।**—

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त्तों के अध्यधीन नियम बना सकेगी।

(2) विशेषकर और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये प्रावधान कर सकेंगे, अर्थात् —

(क) धारा 10 की उप धारा (3) के अधीन वह प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जायेगा और वह शुल्क तथा प्रतिभूति जमा जो ऐसे आवेदन के साथ संलग्न होगा;

(ख) धारा 10 की उप धारा (5) के अधीन शर्त्तों का निर्धारण जिनके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी;

(ग) वह कालावधि जिसके लिए, वह फीस जिसकी अदायगी पर, और वह शर्त्त जिसके अध्यधीन धारा 10 की उप धारा (6) के तहत अनुज्ञप्ति नवीकृत की जा सकेगी;

(घ) प्रपत्र जिसमें, वह अधिकारी जिसको तथा वे अवधि जिन में धारा 14 के अधीन विवरणियाँ प्रस्तुत की जाएंगी;

(च) धारा 16 की उप धारा (2) के अधीन विद्युत् संयोजन आदि लगाए जाने के लिए प्रावधान;

(छ) शुल्क/जुर्माना आदि के रूप में काष्ठ आधारित उद्योगों से प्राप्त धन राशि का उपयोग राज्य में वन/वृक्ष आच्छादन को बढ़ाने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान;

(ज) कोई अन्य विषय जिसे विनियमित किये जाने की आवश्यकता हो या जो विनियमित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो एक सत्र या एक से अधिक लगातार सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि, जिस सत्र में यह रखा गया हो उसकी अथवा उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पहले, दोनों सदन नियम में कोई सुधार करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन सहमत हों कि नियम बनाया ही नही जाए, तो उसके बाद, यथास्थिति, नियम केवल ऐसे सुधार के साथ लागू होगा अथवा प्रभावी ही नहीं होगा; किन्तु ऐसे किसी सुधार या निरस्तीकरण का उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

33. अन्य अधिनियम तथा विधियों का काष्ठ आधारित उद्योग पर लागू न होना।– किसी अन्य अधिनियम या विधि, नियम, आदेश में अंतर्विष्ट कोई बात अथवा राज्य के किसी क्षेत्र में विधि का बल रखनेवाली कोई बात काष्ठ आधारित उद्योग के मामले में तथा प्रसंस्करण (प्रॉसेसिंग), के संबंध में लागू नहीं होगी, जिसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान निहित हैं।

और यह भी कि सभी काष्ठ आधारित उद्योग पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य के अधिनियमों के अन्तर्गत इन उद्योगों के लिए प्रासंगिक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी पर्यावरणीय अथवा अन्य विनियमों एवं मार्गदर्शनों का अनुसरण करेंगे।

34. कतिपय क्रियाकलापों पर अधिनियम के प्रावधन लागू नहीं होंगे।– इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे–

(क) सामान्य बढ़ईगिरी का संचालन जो काष्ठ चिरान का क्रियाकलाप नहीं करते हैं;

(ख) राज्य सरकार के स्वामित्त्व वाले काष्ठ आधारित उद्योग।

35. संशोधन करने की शक्ति।– यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुछ भी कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से उसे आवश्यक या उचित प्रतीत होती है:

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के समापन के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

36. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990, (समय–समय पर यथासंशोधित) और इसके अधीन बनाए गए नियम तथा निर्गत आदेश जो इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों के प्रतिकूल हों इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) परन्तु ऐसे–निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

37. अधिनियम के अंग्रेजी एवं हिन्दी पाठ में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ का मान्य होना।– इस अधिनियम के किन्ही प्रावधानों के संबंध में इसके अंग्रेजी एवं हिन्दी पाठों में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

29 अप्रील 2025

सं० एल०जी०–01–02/2025–**2645/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील, 2025 को अनुमत **बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम 04, 2025)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 4, 2025)
The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Act, 2025
AN
ACT

Preamble.- The Bihar Saw Mill (Regulation) Act. 1990 regulates the establishment and operation of saw mills, veneer mills, plywood pasting units and composite units in the State of Bihar.

And whereas there are various other kinds of industry which are based on wood or other form such as sandal, katha wood etc. as their raw materials. These units, like Katha industry, charcoal units etc. have significant impact on the forest/tree cover/greenery in the State of Bihar and hence are required to be regulated through legal instrument.

And whereas provision has to be made for utilization of amount realised from Wood Based Industries, by way of fees/penalties etc, on execution of schemes for increasing the forest/tree cover in the State.

And whereas in view of aforementioned facts and requirements, "Bihar Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Act, 2025 has been prepared to replace the existing "Bihar Saw Mills (Regulation) Act, 1990."

Now, therefore, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy sixth year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.*** –

(1) This Act may be called The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Bihar Gazette.

2. ***Definitions.*** –

(1) In this Act unless there is anything repugnant to the subject or context-

(a) ***"Act"*** means the Bihar Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Act, 2025,

(b) ***"Industrial Estate or Industrial Area"*** means areas notified by the State Government for establishment of Industries including the Wood Based Industries;

(c) ***"license"*** means a license granted under section 10 of this Act;

(d) ***"licensee"*** means any person possessing a license duly granted under section 10 of this Act;

(e) ***"licensing officer"*** means a licensing officer appointed under Section 5 of this Act;

(f) ***"A person"*****,** for the purpose of this Act, means any applicant including an individual or Karta of a Hindu Undivided family or a partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932 or a Company under the Companies Act, 2013 or a registered Co-operative Society;

(g) ***"Principal Chief Conservator of Forests"*** means a forest officer of the rank of the Principal Chief Conservator of Forests in the State;

(h) ***"prescribed authority"*** means a prescribed authority appointed under Section 6 of this Act;

(i) ***"*Round log*"*** means a piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimetre or more under bark and it includes such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment, to make its cross section square or near square for the purpose of ease in its transportation and / or storage;

(j) ***"saw mill"*** means a wood based industry for conversion of round logs into sawn timber;

(k) ***"Sawn Timber"*** means beams, scantlings, planks**,** battens and such other products obtained from sawing of a round log;

(l) ***"sawing and/ or Processing"*** with its grammatical variations and cognate expressions means operations of sawing, cutting, slicing, peeling, converting, fashioning or seasoning of wood and includes preservation and treatment thereof either by mechanical or chemical process with the aid of electrical or mechanical power. It shall include the act of extraction of other residues (Katha or Pulp, resin, rosin, fibre, gum etc.) from wood or any activity in which wood is utilized as a raw material.

(m) ***"Selected wood based Industry"*** means a wood based industry having its seniority position within the compiled seniority list at State level as determined under section 9 of this Act;

(n) ***"Non Selected wood based Industry"*** means a wood based industry having its seniority position beyond the compiled seniority at State Level permissible number of units as determined under section 9 of this Act;

(o) ***"State"*** means the State of Bihar.

(p) ***"State Level Committee or SLC"*** means the Committee constituted by the State Government under section 3 of this Act.

(q) ***"Vehicle"*** means a mechanically propelled vehicle or any vehicle drawn by human beings or by animals and includes truck, tractor, trolly, motor vehicle, boat and carts;

(r) ***"Wood"*** includes trees when they have fallen or have been felled and all wood of any species, except bamboos, whether cut, converted, fashioned, sawn or hollowed out for any purpose or not.

(s) ***"Wood Based Industry"*** means any industry which processes wood as its raw material (Saw Mills/ Veneer/ Plywood or any other form such as sandal, katha wood etc).

(t) ***"Charcoal"*** means a form of carbon derived from incomplete combustion of wood derived from a tree.

(u) ***"Composite unit"*** means any industry where different kinds of wood based industries are under operation.

(v) ***"Year"*** means a Calendar year which commences on the 1st day of January and ends on the 31st day of December of the year.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act.

3. Constitution of the State Level Committee :-

(1) The State Government by notification shall constitute a State Level Committee (SLC) to perform the functions assigned in or by this Act.

(2) The State Level Committee shall consist of the following & members:-

a)	Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)	Chairman
b)	A representative of the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Conservator of Forests.	Member
c)	A representative of the State Forest Department not below the rank of a Conservator of Forests dealing with preparation of working plans/ working schemes.	Member
d)	Director / Additional Director of Department Industry, Bihar.	Member
e)	Managing Director of the Bihar Forestry Development Corporation Ltd.	Member
f)	An officer not below the rank of Conservator of Forests working in the Forest Head Quarters	Member Secretary

(3) The State Level Committee may co-opt an officer from Territorial wing of the Forest Department not below the rank of Conservator of Forests and officers from Department of Agriculture and Department of Revenue & Land Reforms, Government of Bihar.

(4) State Level Committee will invite a representative of the wood based industry nominated by anyone Saw-mill association as a special invitee to each and every meeting of the State Level Committee.

(5) The quorum for the meeting of the State Level Committee shall be at least fifty percent of the permanent members.

(6) The State Level Committee shall meet at least once in three months.

4. Powers and Functions of the State Level Committee – *The State Level Committee (SLC) shall –*

(i) Assess the availability of timber in the State by way of appropriate study on demands and supply, as and when it decides. Devise suitable mechanism for sustainable use of timber in a way that does not affect the forests and the tree cover of the area adversely.

(ii) Approve the name of Wood Based Industries which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity, in case the SLC is satisfied that wood is available legally for the said new Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests etc).

(iii) Ensure that the amount (realised from Wood Based Industries) lying with the State Forest Department is utilized for the purpose of afforestation / plantation only.

(iv) Examine any other matter referred by the State Government and send appropriate recommendation to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

5. Appointment of Licensing Officer. –

(1) The State Government may, by notification, appoint an officer, not below the rank of Divisional Forest Officer, to be a Licensing Officer for the purpose of this Act;

(2) The State Government may define the local limits within which a Licensing Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties assigned to him by or under this Act.

6. Appointment of Prescribed Authority. –

(1) The State Government, may by notification, appoint an officer, not below the rank of Conservator of Forests, to be the Prescribed Authority, for the purpose of this Act;

(2) The State Government may define the local limits within which a Prescribed Authority shall exercise the powers conferred and perform the duties assigned to him by or under this Act.

7. Application for license. –

(1) On or after the date of commencement of this Act, no person shall establish and / or operate any Wood Based Industry, except under the authority and subject to the conditions of a license granted in that behalf under this Act on an application made by such person;

(2) A license issued under the Bihar Saw Mills (Regulation) Act, 1990 shall be deemed to have been issued under this Act.

8. Declaration of restricted places and prohibited areas for the Wood Based Industries. –

(1) In respect of distance from the boundary of the nearest notified forests or protected areas, Wood Based Industries shall be allowed to operate in the State at a distance as per State-specific order / approval of the Hon'ble Supreme Court / Hon'ble Patna High Court / Central Empowered Committee or beyond ten kilometres of aerial distance from the boundary of the nearest notified forests or protected areas whichever is less.

(2) The provision under sub-section (1) will not be applicable to roadside / railway side / canal side plantations, which have been declared as Protected Forest.

(3) A Wood Based Industry can be established in an Industrial Estate /Industrial Area or a Municipal area (Nagar Nigam / Nagar Palika / Nagar Panchayat) irrespective of the aerial distance from the boundary of nearest notified forest or protected area.

(4) The State Government may, by notification, for reasons mentioned therein, declare any area to be a prohibited area, for the period specified therein.

During the period an area is declared to be a restricted area or a prohibited area under this Act or any other order made there under, the following consequences shall ensue, namely-

(a) no license shall be granted for establishment of Wood Based Industry in that area;

(b) no license of Wood Based Industry shall be renewed during that period in that area;

(c) Wood Based Industry situated in that area shall cease to operate and keep its operation closed.

(d) No claim on account of damages as a result of such cessation of operations or closure shall lie before any authority nor any damages arising out of such cessation/ closure, if any, shall be payable to the licensee.

(5) (a) The State Government may issue directions for disposal of such wood / wood produce which has been received till the date of declaration of an area as restricted or prohibited under this section.

(b) The affected wood Based industry will be allowed to operate beyond the restricted area subject to the provisions under sub-section (1) of Section 8.

9. ***Fixation of number of various Wood Based Industrial units in the State and restriction on machinery -*** The State Government, on the basis of recommendation made by State Level Committee on the assessment of availability of timber/wood vis-a-vis the estimated annual consumption of timber/wood by various Wood Based Industries, shall fix the number of different types of Wood Based Industries for their operation in the State from time to time and fix the number and/or type of machinery units to be used by them.

10. ***Grant and renewal of license.*** –

(1) License may be granted for new Wood Based Industry in cases where the number of licensed Wood Based Industry is less than the number of permissible units as determined under section 9 of this Act.

(2) The State Government may issue guidelines for issuance of new licenses.

(3) An application for license under Section 7 of this Act shall be in such form and shall be accompanied by such fee and security deposit, as may be prescribed by the State Government.

(4) On receipt of an application, the Licensing Officer may, after making such enquiry as he may deem fit, take steps to grant the license in accordance with rules made under this Act.

(5) No license to a Wood Based Industry shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the State Level Committee.

Provided that the State Level Committee may delegate the power of renewal of license of a wood based industry to the Divisional Forest Officer of the concerned Forest Divisions.

(6) A license granted under this section shall be subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be prescribed therein.

(7) The license shall be issued for a period fixed by the State Government and on its expiry shall be renewed on an application in such form and accompanied with such fees as may be prescribed by the State Government.

(8) Industry/processing plants, not using round logs of domestic origin or operating without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimetre diameter shall not require license in cases where they use:-

a. sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood, Veneers or imported wood procured from legitimate sources;

b. block board, Medium Density Fibre (MDF) board or similar wood based products procured from legitimate sources;

c. round log / timber from species declared as agro-forestry/ agricultural crops and / or exempted from the purview of felling and transit regime in the State and procured from legitimate sources.

Provided that the State Level Committee may allow installation of circular saw of diameter upto 60 (sixty) centimetre in such industries having specialized requirement.

(9) Industries specified under sub section (8) of this section shall be registered with the office of the concerned licensing officer and shall be regulated as per the directions issued by the State Government.

11. Transfer of license –

(1) Transfer of license on sale / succession etc. shall be done with the approval of State Level Committee.

(2) The State Government may issue guidelines for transfer of license under this Act.

12. Seniority inter-se between the licensed Wood Based Industries–

(1) The seniority list of licensed Wood Based Industries shall be prepared and published for each category.

(2) In case of transfer of license under section 11 of this Act, the seniority of such Wood Based Industry shall remain unchanged.

(3) The State Government shall issue guidelines for preparing the inter-se-seniority list of various Wood Based Industries.

13. Power of entry, inspection, search, seizures etc. –

(1) For the purpose of ascertaining the location or, examine the functioning of a Wood Based Industry or with a view to ensure compliance of the provisions under this Act and the Rules made thereunder, the Licensing Officer or any other Forest Officer not below the rank of Beat officer (Forester) authorised by the Licensing Officer in this behalf, may-

(a) enter and inspect a Wood Based Industry;

(b) order for the production of any document, book, register or records in the possession of any person having the control of or employed in connection with a Wood Based Industry for examining;

(c) search any person, premises, vehicle, machine, tools and equipments used or intended to be used in contravention of the provisions of this Act and the Rules made thereunder and may stop any vehicle or person for this purpose;

(d) seize any wood, plants and machinery, tools, vehicle and any other articles suspected to be involved or used or is about to be involved or used in contravening the provisions of this Act or the Rules made thereunder.

(2) The provisions under relevant section of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 relating to search and seizure shall, so far as may, apply to searches and seizure under this Section.

14. ***Submission of returns.*** - Every licensee shall submit such returns relating to the business of the Wood Based Industry in such forms and to such officers and at such frequency as may be prescribed by the State Government.

15. ***Records to be maintained by the Wood Based Industries*** - All Wood Based Industries shall maintain records with supporting documents in the forms as may be prescribed by the State Government and regularly update the same. These records

shall be produced during inspection. It shall be presumed, in respect of the stock of wood which is not accounted for satisfactorily, that the same has been obtained unlawfully and such stock shall be liable to confiscation.

16. Prohibition of electric connection etc., in unlicensed Wood Based Industry. –

(1) On and from the date of commencement of this Act, notwithstanding anything contained in any enactment relating to electricity for the time being in force, no electric energy shall be consumed and no electric connection shall be installed for the purpose of a Wood Based Industry or continued for that purpose unless such Wood Based Industry is duly licensed and operated in accordance with the provisions in this Act.

(2) The State Government may make Rules for the purpose of the provisions of this section.

17. Revocation or Suspension of license and Appeal –

(1) If the Licensing Officer is satisfied, either on a reference made in this behalf or otherwise, that-

(a) the licensee has parted, in whole or in part, with his control over the wood based industry or has acquired such unit without obtaining the approval of the State Level Committee as provided under section 11 of this Act; or

(b) the licensee has ceased to operate his unit; or

(c) the licensee has without reasonable cause, failed to comply with any of the conditions of the license or any direction lawfully given by the Licensing Officer or has contravened any of the provisions of this Act or the Rules made thereunder; or

(d) the licensee has kept in the premises of his Wood Based Industry any wood / plant produce which he is not able to account for satisfactorily and consequently which is liable to be confiscated under Section 18; or

(e) the licensee is involved in activities prejudicial to the interest of Forest Conservation, then without prejudice to any other penalty to which licensee may be liable under this Act the Licensing Officer may, after giving the licensee an opportunity of showing cause, revoke, or suspend the license and forfeit the sum, if any, or any portion thereof deposited as security for the due compliance of the conditions imposed in the license.

(2) A copy of every order issued under sub-section (1) shall be given to the licensee, the Prescribed Authority and the State Level Committee.

(3) Any person aggrieved by an order of Licensing Officer under section 10, 11 and 17 of this Act may file an appeal before the Prescribed Authority, within thirty days from the communication of such order.

(4) The Prescribed Authority may, either suo motu or on an appeal, call for and examine the records of an order passed by the Licensing Officer under section 10, 11 and 17 of this Act and may make such enquiry or cause such enquiry to be made and pass such orders, as he may deem fit, preferably within a period of ninety days.

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed without giving him an opportunity of being heard.

18. Confiscation of Wood Based Industry etc. and Appeal-

(1) The Licensing Officer may order for confiscation of the stock of wood unlawfully stored in whole or in part together with the plants and machinery, vehicles, implements, equipments or any other articles which have been used in the commission of the offence in cases where:

(a) a Wood Based Industry is established or operated in an area declared to be restricted or a prohibited area under Section 8; or

(b) a Wood Based Industry is established and / or operated without a valid license; or

(c) a Wood Based Industry is operated after suspension or revocation of license; or

(d) a Wood Based Industry is operated with the aid of electrical energy or electrical installation in contravention of the provision of Section 16; or

(e) unaccounted wood is found in the premises of the Wood Based Industry.

(2) An intimation about initiation of proceedings for confiscation of property shall be sent to the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which seizure has been made.

(3) No order of confiscation of any property shall be made under sub-section (1) unless the person from whom the property is seized, and in the case where the owner of such property is known, such person is given-

(a) a notice in writing intimating him of the grounds on which the confiscation of such property is proposed;

(b) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds for confiscation; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) Appeal against the order of confiscation- Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the order, or if the fact of such order has not been communicated to him within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing, accompanied by such fee payable, in such form as may be prescribed, along with the certified copy of order of confiscation, before the Prescribed Authority of the area in which the seizure has been made.

(5) Bar of Jurisdiction of Court etc. in certain circumstances- On receipt of intimation under sub section (2) of this section about initiation of proceeding for confiscation of property by the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property which is subject matter of confiscation, has been made, no court shall have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery disposal or distribution of the property with regard to which proceeding of confiscation has been initiated under this Act.

19. ***Property to vest in the Government in respect of which confiscation order passed Under section 18(1) or 18(3) or 18(4) has reached its' finality.-***

(1) Where an order of confiscation of any property passed under sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 18 has become final in respect of the whole or any portion of such property, such property or the portion

thereof, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.

(2) An order of confiscation under sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 18 shall not be deemed to bar on the imposition of any such other penalty to which the person from whom the property is seized is liable under this Act.

20. ***Penalties.*** -

(1) operation of any wood based industry without obtaining license under this act shall be a cognizable offence.

(2) If any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provisions of this Act or the Rules made thereunder he/she shall be punishable with imprisonment for three months which may extend to one year, and / or with a fine of Rs 10000/- (Ten thousand) which may extend to Rs 100000/- (One Lakh) or with both.

21. ***Power to arrest without warrant.-***

(1) Any Forest Officer may, without orders from a Magistrate and without a warrant, arrest any person, against whom a reasonable suspicion exists of his being involved in the operation of a wood based industry without obtaining license under this Act.

(2) Every officer making an arrest under this section shall, without unnecessary delay, release the arrested person on bond, or send the person arrested before the magistrate having jurisdiction in the case, or to the Station House Officer of the nearest police station.

22. ***Power to release an arrested person on bond.-*** Any forest officer of the rank not inferior to that of a Assistant Conservator of Forest, who or whose subordinate, has arrested any person under the provisions of section 21, may release such person on his executing a bond to appear, if and when so required, before the magistrate having jurisdiction in the case, or before Station House Officer of the nearest police station.

23. ***Offence by Companies.*** –

(1) Where an offence under this Act has been committed by a Company, every person, who at the time of commissioning of the offence was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. - For the purpose of this Section-

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or a Co-operative Society or other association of individuals.

(b) "director" in relation to a firm, also includes a partner/partners in the firm.

24. ***Burden of Proof.*** –

(1) Where wood, whether sawn or unsawn, and/or wood or plant produce is recovered from a Wood Based Industry for which no valid license exists in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under, it shall be presumed that the Wood Based Industry was in operation until the contrary is proved, burden to proof of which shall lie on the accused.

(2) Where, in any prosecution for an offence against this Act or the rules made there under, it is established that any wood declared unlawful was seized in the premises of a Wood Based Industry of a person, or at any site where sawing / processing was being done, it shall be presumed that such person has contravened the provisions of this Act or the rules, made thereunder until the contrary is proved, the burden of proving the same shall lie on the accused.

25. ***Cognizance of offence.*** - No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Licensing Officer or any person duly authorised by the State Government or the Licensing Officer in this behalf.

26. ***Jurisdiction of court.*** - No court inferior to that of a Judicial Magistrate of the first class, shall try offence punishable under this Act.

27. ***Compounding of offence.*** –

(1) Forest Officer empowered by the State Government in this behalf may:

(a) accept from any person, whose license is liable to be revoked or suspended under clause (c) of sub-section (1) of Section 17 or who is reasonably suspected of having committed for the first time an offence relating to non-submission of return under Section 14 or of non-maintenance of account of stock under Section 15 of this Act or processing of wood/ any other form such as sandal, katha wood, charcoal etc, unlawfully obtained which is less than half a cubic meter in volume, a sum prescribed in the rules made under this Act in lieu of such revocation or suspension or by way of compounding for such offence, as the case may be, and may impose as a penalty a sum prescribed in the rules and shall order confiscation of unlawfully obtained wood and or any other form such as sandal, katha wood, charcoal etc. which was seized.

(b) in case any property has been seized as liable to confiscation under section 18 of this Act, at any time before an order of confiscation is passed by the competent authority under this Act, release the same on payment of the value as prescribed in the rules.

(2) On the payment of such sum of money, or such value, or both, as the case may be, to the forest officer, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released, and no further proceeding shall be taken against such person or in relation to such property.

(3) The provision of this section shall not apply to the Wood Based Industry operating without a valid license.

28. ***Licensing Officer or an authorised person to be a public servant.*** - The Licensing Officer and every officer duly authorised to discharge any duties assigned to him or required under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of relevant provision of the Bharatiya Nyaya sanhita, 2023.

29. ***Punishment for wrongful seizure-***Any Forest Officer who vexatiously and unnecessarily seizes any property on the pretence of seizing property liable to confiscation under this Act shall be punishable with a fine of Rs 10000/- (Ten Thousand) which may extend to Rs. 100000/- (One Lakh).

30. ***Protection of action taken in good faith.*** - No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer or person or authority for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any Rules or order made thereunder.

31. ***Rewards.*** - The Court or the Licensing Officer, as the case may be, may by order permit giving of reward in the shape of an amount which is not more than one-fourth of the amount of fine and/or of the value of the property forfeited and/or confiscated to such person or persons whose information has indisputably led to the detection of the contravention of any of the provisions of this Act or the Rules made thereunder.

32. ***Power to make Rules.*** –

(1) The State Government may by notification and subject to the condition of prior publication for the comment of stakeholders make Rules to carry out the purpose of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Rules may provide for all or any of the following matters, namely-

(a) The Form in which application shall be made under sub-section (3) of Section 10 and the fee and security deposit which shall accompany such application;

(b) Conditions under sub section (5) of section 10 subject to which license may be granted;

(c) the period for which, the fee on the payment of which and the condition subject to which the license may be renewed under sub-section (6) of Section 10;

(d) the form in which, the officer to whom and the period in which returns shall be submitted under Section 14;

(e) provisions for installation of electric connection, etc. under sub-section (2) of Section 16;

(f) provisions for utilization of amount realised from the Wood Based Industries, by way of fees/ penalties etc., on execution of schemes for increasing forest/ tree cover in the State.

(g) any other matter which is required to be or may be regulated.

(3) Every Rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each house of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in more than one successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both the Houses agree in making any modification in the Rule or both the Houses agree that the Rule should not be made, the Rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Rule.

33. ***Other Acts and laws not to apply to Wood Based Industry.*** - Nothing contained in any other Act, or Law, Rule, Order or any other thing having a force of law in any area of the State shall apply to the matter relating to Wood Based Industries and processings in respect of which provisions are contained in this Act.

Moreover, all the Wood Based Industries will follow all environmental and other regulations prescribed by the State Pollution Control Board, the Central Pollution Control Board and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as applicable to these industries under the Environment (Protection) Act, 1986 and other Central and State Acts and guidelines.

34. ***Provisions of the Act not applicable on certain activities.-*** The provisions of this Act or the Rules made thereunder shall not apply to-

(a) the ordinary operations of carpentry not involved in sawing operations;

(b) the Wood Based Industry owned by the State Government.

35. ***Power to make amendments.*** - If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, do anything not inconsistent with the provisions of this Act which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

36. ***Repeal and Saving.*** –

(1) The Bihar Saw mills (Regulation) Act, 1990, (as amended from time to time) and the rules made and orders issued thereunder which are contrary to the provisions made in this Act are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Acts or rules shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act, was in force on the date on which such thing or action was done or taken.

37. ***English version of the Act to prevail in case of any difference between English and Hindi versions.-*** In case of any difference between the English and the Hindi versions of any of the provisions under this Act, the English version will prevail.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)342-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in